

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2011—माघ 15, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. एफ. 19-59-2010-1-चार.—विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 जुलाई 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति का गठन किया गया है.

(2) उपर्युक्त समिति में राज्य शासन, एतद्द्वारा सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के स्थान पर श्रीमती गौरी सिंह, संयुक्त संचालक (एफ. ए.), उच्च शिक्षा संचालनालय को सदस्य वित्त के रूप में नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र. आर. न. 2416-10-ए-सोलह-68.—चूँकि पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड देवास के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स एम्प्लॉईज यूनियन, देवास द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड देवास के मध्य वेतन एवं अन्य मांगों संबंधी औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और, चूँकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि उभय पक्षों के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभवनीय नहीं है.

अतएव मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51-(1) (अ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

दिनांक 1 जून 2008 से लागू होना अपेक्षित वेतन समझौता क्या संस्थान में कार्यरत सभी स्थायी व अस्थायी केजुअल आदि सभी श्रमिकों पर लागू होगा? यदि हां तो:—

2. क्या मशीनवार श्रमिकों की संख्या निर्धारित किये जाने का औचित्य है?
3. क्या दिनांक 1-6-2008 से श्रमिकों को कुशल श्रमिकों का वेतन दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये?
4. क्या कार्यरत श्रमिकों को शासन द्वारा घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिये जाने का औचित्य है?
5. क्या श्रमिकों को धुलाई भत्ता, वाहन भत्ता, शिक्षा भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, उपस्थिति बोनस आदि दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये?
6. क्या श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा अथवा चिकित्सा भत्ता दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये?
7. क्या श्रमिकों को वर्ष 2007-08 के बोनस दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो किस दर से?

8. क्या श्रमिकों को केन्टिन सुविधा के साथ दिन में दो बार चाय दिये जाने का औचित्य है?
9. क्या श्रमिकों को ग्रेन लोन, बीमारी हेतु आकस्मिक ऋण एवं साथ ही पुत्री के विवाह हेतु लोन दिये जाने का औचित्य है? यदि हां तो उसकी क्या योजना होना चाहिये?
10. क्या संस्थान में महिलाओं के बच्चों के लिये झूलाघर की व्यवस्था किये जाने का औचित्य है?
11. क्या श्रमिकों के कार्य घंटे सहित पाली का समय निर्धारित किये जाने का औचित्य है?

एवं उपरोक्त मांगों के संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिये?

क्र. आर. नं. 2416-10-ए-सोलह-68.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि इन्दौर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स एम्प्लॉईज यूनियन, देवास एवं पेन्टागन लेबोरेटरीज लिमिटेड, देवास के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका :—

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/एम.पी.आई.आर./09

No. R. No. 2416-10-A-XVI-68.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960), the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Disputes between Drugs & Pharmaceuticals Employees Union, Dewas and Pentagon Laboratories Limited, Dewas in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local Area of Indore :—

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1/MPIR/09

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभा चौधरी, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. एफ. 3-29-2009-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 46 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरौली को आगामी आदेश तक, वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सिंगरौली विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करता है।

क्र. एफ. 3-29-2009-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, कलेक्टर, सिंगरौली को आगामी आदेश तक सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 (ई) 4-2001-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा मोहम्मद मूसा खान, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल की सेवाएं उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है।

फा. क्र. 17 (ई) 4-2001-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा मोहम्मद फहीम अनवर, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम रीवा की सेवाएं अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2011

फा. क्र. 153-2011-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री एस. सी. पाण्डे, रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक एतद्द्वारा उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

फा. क्र. 196-2011-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, श्री विजय चन्द्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) बासौदा की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 (ई) 215-2005-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 7 जुलाई 2005 द्वारा श्री महावीर प्रसाद पाण्डेय, अधिवक्ता, निवासी-मागंज, वार्ड-3, तीन गुल्ली चौराहा, जिला दमोह को जिला मुख्यालय, दमोह में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 12 मार्च 2008 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, दमोह में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 (ई) 23-2009-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 3 जून 2009 द्वारा श्री विश्वनाथ सिंह तिवारी, अधिवक्ता, निवासी तहसील अमरपाटन, जिला सतना को तहसील अमरपाटन में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 1 जून 2010 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से तहसील अमरपाटन में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा. क्र. 17 (ई) 235-2007-इक्कीस-ब (दो).—दिनांक 21 जनवरी 2008 द्वारा श्री रमेश कुमार जैन, अधिवक्ता, निवासी सीनियर एम.आई.जी. 4, पद्माकर कालोनी, सागर, जिला सागर को जिला मुख्यालय सागर में नोटरी व्यवसाय करने हेतु नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, परन्तु उनकी दिनांक 21 दिसम्बर 2009 को मृत्यु हो जाने के कारण आदेश जारी होने की दिनांक से जिला मुख्यालय, सागर में नोटरी व्यवसाय करने का नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र निरस्त किया जाता है तथा उनका नाम नोटरी पंजीयन रजिस्टर से विलोपित किया जाता है।

फा. क्र. 1(सी)-01-2011-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री अक्षय कुमार पाटीदार, अधिवक्ता को जिला रतलाम में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्यशीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा।

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2011

फा. क्र. 1 (बी) 22-04-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गिरीश शर्मा पुत्र स्व. श्री पी. एन. शर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये राजगढ़ सत्र खण्ड के राजगढ़ राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. डी-15-4-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्य भारत शासन, उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5978-13सी-175-54, दिनांक 3 मई 1955 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी, सारंगपुर जिला राजगढ़

के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत सण्डावता, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 2.988 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	1031/1	1.000
2	1031/4	0.421
3	1033/1	1.000
4	1182/2	0.567
कुल योग . .		2.988

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—दशहरा मैदान।

दक्षिण में—देवीलाल पिता शंकरलाल की भूमि।

पूर्व में—रामेश्वर, घनश्याम, कैलाश राठौर, देवीलाल पिता शंकरलाल की भूमि।

पश्चिम में—बापूलाल, कालूराम, देवीसिंह की भूमि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. डी-15-4-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव।

Bhopal, the 22nd January 2011

No. D-15-4-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare the following place including all structures, enclosures, open places or locality in the market area under Krishi Upaj Mandi, Sarangpur of Rajgarh district has been

established *vide* the Madhya Bharat Industries and Commerce department's Notification No. 5978-13C-175-54, dated 3rd May 1955 shall be sub market yard namely :—

PLACE

An area of 2.988 hectares land of bellow Mentioned Khasra number at Gram Panchayat, Sandavata in Tehsil Sarangpur of District Rajgarh :—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (in Acres) (3)
1	1031/1	1.000
2	1031/4	0.421
3	1033/1	1.000
4	1182/2	0.567
Total . . .		2.988

BOUNDED BY

1. **On the North by**—Dashara Maidan.
2. **On the South by**—Land of Devilal S/o Shankerlal.
3. **On the East by**—Land of Ramesawar (Ghanshyam, Kailash Rathor) Devilal S/o Shankerlal.
4. **On the West by**—Land of Bapulal, Kaluram, Devisingh.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. डी-15-04-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जनवरी 2011 के द्वारा घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी समिति सारंगपुर जिला राजगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी प्रांगण घोषित करती है :—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत सण्डावता, तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र —
(1) खंजरपुर, (2) कालियाखेड़ी, (3) डोबडाजोगी, (4) बरखेड़ा खुर्रम (5) मुंडलामउ, (6) छतरपुरा,

- (7) पंवारखेड़ी, (8) देवलीसांगा, (9) कायरी,
- (10) दरियापुर, (11) निपारियाबीका, (12) झिरी,
- (13) सेमलीलोडा, (14) भूमका, (15) म्याना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

क्र. डी-15-04-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd January 2011

No. D-15-04-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare that in the relation to the sub Market yard as under this department's notification even number dated 22nd January 2011 the following area in the Market area of Sarangpur of district Rajgarh shall be the Sub-Market proper :—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram.Panchayat Sandawata in Tehsil Sarangpur of District Rajgarh.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the sub Market yard namely :—
(1) Khanjarpur, (2) Kaliyakhedi, (3) Dobardajogi, (4) Berkhedea Khurram, (5) Mundlamao, (6) Chharpura, (7) Panwarkhedi, (8) Vevlisanga, (9) Kayri, (10) Dariyapur, (11) Nipariyabeeka, (12) Jhiri, (13) Semliloda, (14) Bhumka, (15) Myana.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. डी-15-36-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 758-1656-चौदह-1, दिनांक 7 फरवरी 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र का अतिरिक्त मण्डी प्रांगण घोषित करती है :—

स्थान

नगरपालिका सिवनी जिला सिवनी के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 3.000 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1	104/3	0.300
2	105/1	1.669
3	106/3	0.393
4	107/2	0.638
कुल योग . .		<u>3.000</u>

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—फार्म एवं बीज विकास निगम की भूमि.

दक्षिण में—कृषि विज्ञान केन्द्र की भूमि.

पूर्व में—फार्म एवं बीज विकास निगम की भूमि.

पश्चिम में—राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-7.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. डी-15-36-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 27 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2011

No. D-15-36-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972

(No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declared the following areas including all structures, enclosers, open places or locality in the market area as a additional market yard of Krishi Upaj Mandi, Seoni which has established by this Department's Notification No. 758-1656-XIV-1, dated 7th February 1969 :—

PLACE

An area of 3.000 hectare land of bellow Mentioned Khasra number at Nagar Palica Seoni in Tehsil Seoni of District Seoni :—

S. No.	Khasra No.	Area (in hecters)
(1)	(2)	(3)
1	104/3	0.300
2	105/1	1.669
3	106/3	0.393
4	107/2	0.638
All Total . .		<u>3.000</u>

BOUNDED BY

1. **On the North by**—Land of Farm and Seed Development Corporation.
2. **On the South by**—Land of Agriculture Science Center.
3. **On the East by**—Land of Farm and Seed Development Corporation.
4. **On the West by**—National Hiway No. 7.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. डी-15-36-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2011 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र सिवनी के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है :—

क्षेत्र

- (1) नगरपालिका सिवनी जिला सिवनी की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र: —

- (1) डूण्डा सिवनी, (2) छिड़िया पलारी, (3) डोरली छतरपुर, (4) बोरदई, (5) सीलादेही, (6) खैरी, (7) सिमरिया, (8) मरझोर, (9) बम्होडी, (10) लखनवाड़ा, (11) परतापुर, (12) लोनिया सिमरिया, (13) लूघरवाड़ा, (14) बीझावाड़ा, (15) मानेगांव (16) बाबरिया, (17) ज्यारत, (18) आमाझिरिया, (19) कोनियापार, (20) फरेदा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. डी-15-36-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 27 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2011

No. D-15-36-2010-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declare that in the relation to the Market yard declare *vide* this department notification even number dated 27th January 2011 the following area of Seoni shall main market Area namely :—

AREA

- (1) An area within the limit of Nagar Palica Seoni in Tehsil Seoni of District Seoni.
(2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Market yard namely :—

- (1) Doonda Seoni, (2) Chhidiya Palari, (3) Dorli Chhatarpur, (4) Bordai, (5) Seeladehi, (6) Khairi, (7) Simariya, (8) Marjhor, (9) Bamhodi, (10) Lakhawada, (11) Partapur, (12) Loniya Simriya, (13) Lugharwada, (14) Beejhawada, (15) Manegawon, (16) Babariya, (17) Jyrat, (18) Amajhriya, (19) Kniapar, (20) Phareda.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2011

फा. क्र. 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक) 10.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 43-2009-3835-इक्कीस-ब-(एक)-10, दिनांक 23 नवम्बर 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 69 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“69.	श्रीमती नीतू कांता वर्मा	करेरा	शिवपुरी	करेरा	करेरा.”

टिप्पणी.— जहां किसी सिविल, जिले में दो ग्राम न्यायालयों के लिये एक समान न्यायाधिकारी हैं वहां ऐसे समान न्यायाधिकारी प्रत्येक माह में 15 दिन की निरंतरता में प्रत्येक ग्राम न्यायालय की बैठक करेंगे.

F. No. 17 (E) 43-2009-3835-21-B-(1)-10.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in this department's notification F. No. 17 (E) 43-2009-3835-21-B (1)-10, dated 23rd November, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table for serial 69 and entries relating thereto, the following serial number namely number and entries relating thereto, shall be substituted:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“69.	Smt. Neetu Kanta Verma	Karera	Shivpuri	Karera	Karera.”.

Note.—Where there are one common Nyayadhikari for two Gram Nyayalayas of a Civil District, in that case, such common Nyayadhikari shall preside each Gram Nyayalaya for 15 days in each month in continuity.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर जिला रीवा, मध्यप्रदेश

रीवा, दिनांक 27 दिसम्बर 2010

क्र. 31-वरिष्ठ लिपिक-2-2010.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग “मंत्रालय” भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एस-3-2-99-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाशों की घोषणा करने के लिये अधिकृत करने फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 की कंडिका 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर, रीवा निम्नांकित दिनांक/दिन को 2011 के लिये जिला रीवा में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ.

क्रमांक	दिनांक	दिन	अवकाश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	14 जनवरी 2011	शुक्रवार	मकर संक्रांति/पोंगल
2	21 मार्च 2011	सोमवार	भाई दूज (होली का दूसरा दिन)
3	27 सितम्बर 2011	मंगलवार	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या.

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालयों/उप कोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 1 जनवरी 2011

आदेश

क्र. सामान्य-1-2011-1-क्र. एफ. 59-01-04.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर जिला शाजापुर वर्ष 2011 के लिये निम्नानुसार दिनांकों को स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ:—

क्रमांक (1)	नाम त्यौहार (2)	दिनांक (3)	वार (4)	क्षेत्र (5)
1	रंग पंचमी	24-3-2011	गुरुवार	सम्पूर्ण जिला
2	श्रावण मास का अंतिम सोमवार बैजनाथ महादेव आगर की सवारी.	8-8-2011	सोमवार	केवल आगर अनुविभाग के लिये
3	दशहरे का दूसरा दिन	7-10-2011	शुक्रवार	सम्पूर्ण जिला
4	दीवापत्ती का दूसरा दिन	27-10-2011	गुरुवार	आगर अनुविभाग को छोड़कर

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. सह.अधि-रीडर-2011-145.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2000 के विनियम क्रमांक-3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय उज्जैन में माननीय अध्यक्ष श्री के. सी. शर्मा एवं माननीय सदस्य श्री जी. सी. केवलरामानी, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 17-2-2011 एवं 18-2-2011 को नियत की गई है. इस दिवस को पेशी स्थान कार्यालय कमिश्नर उज्जैन, राजस्व संभाग, उज्जैन में समय सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित करें.

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार).

विमल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

प्र. क्र. 6-अ-82-10-11-भू-अ. अ.-बर्गी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अर्जित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	जुनवानी कला	0.02	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	आलासुर माइनर नहर निर्माण हेतु.	

प्र. क्र. 7-अ-82-10-11-भू-अ. अ.-बर्गी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अर्जित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	खिरवाबरगंवा	0.15	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	बरौदा माइनर नहर निर्माण हेतु.	

प्र. क्र. 8-अ-82-10-11-भू-अ. अ.-बर्गी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अर्जित रकबा (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
जबलपुर	मझौली	बरौदा	0.40	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	लमकना वितरक नहर निर्माण हेतु.	

प्र. क्र. 9-अ-82-10-11-भू-अ. अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	झिंगरई प. ह. नं. 60 नं. बं. 264	0.12	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	घानाकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

प्र. क्र. 10-अ-82-10-11-भू-अ. अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	बुढ़रा प. ह. नं. 88 नं. बं. 549	0.12	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.	कुशयारी माइनर के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 7 जनवरी 2011

क्र.-भू-अर्जन-2010-6.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, खाने नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों

का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
शाजापुर	बड़ौद	कछालिया	4.56	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपखण्ड, आगर जिला शाजापुर.	कछालिया तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु आवश्यक भूमि बावत्.
		कण्डारी	0.43		
		सियाखेड़ी	1.95		
			योग . . .		
			6.94		

नोट.— भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर एवं अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 87-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
खरगोन	भीकनगांव	बंजारी	1.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	जेटगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 197-भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

क्र.	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल खसरा नम्बर कुल रकबा (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह	पड़रिया	6	1.10	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.)	बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय दमोह में देखा जा सकता है.

क्र. 198-प.भू-अर्जन-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाना (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

क्र.	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन	
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल खसरा नम्बर कुल रकबा (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह	मढ़िया पनगढ़ा	5	0.21	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर (म. प्र.)	बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय दमोह में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 19 जनवरी 2011

क्र. 14-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	चोरगड़ी	13.982	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 16-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	गोड़हा टोला	3.280	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

क्र. 18-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उप धारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बघवार	14.179	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जनवरी 2011

क्र. 70-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	भितरी	6.00	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	नहर के निर्माण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 72-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन, यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन,	बसेंड़ी	0.03	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आमडांडू माइनर के निर्माण हेतु आने वाले ग्रामों की निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 25 जनवरी 2011

प्र. क्र. 4-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त

धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

			भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक के प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
रायसेन	बेगमगंज	चंदपुरा	4	0.765	0.121	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	तुलसीपार नहर निर्माण.
			3	0.146	0.045		
			5	1.707	0.264		
			7	0.376	0.032		
			20/1	0.972	0.182		
			20/2	0.704	0.105		
			20/3	0.376	0.024		
			16,24, 162/12, 164/24, 165/33/2/1	1.874	0.627		
			17	2.347	0.128		
		तुलसीपार	96/1	0.405	0.069		
			99/1	1.635	0.160		
			90/2/1	3.440	0.672		
			90/1/1	2.833	0.271		
			91/2	1.619	0.093		
			96/2	0.522	0.069		
			89/1	0.425	0.120		
			101/1	1.619	0.018		
			65	1.598	0.354		
			77-78-80/1	2.957	0.256		
			75/1/2	0.664	0.150		
			71	3.780	0.175		
			54/2	1.303	0.120		
			54/1	1.303	0.040		
			52/3	1.704	0.232		
			49/2/1	1.821	0.210		
			67/1	2.864	0.291		
			66/1	1.303	0.057		
			56/3	0.793	0.380		
			132/3	1.416	0.024		
			132/2/1	0.433	0.045		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			132/2/2	0.161	0.045	
			132/1	1.214	0.130	
			130-131/3	0.537	0.048	
			130-131/4	0.541	0.065	
			130-131/5	0.809	0.085	
			130-131/6	0.809	0.073	
			147	0.129	0.016	
			145	0.448	0.100	
			146	0.121	0.024	
			143	0.065	0.024	
			166/2/1	1.825	0.255	
			166/1	1.963	0.129	
			167/1	0.134	0.024	
			234-235/2	0.809	0.130	
			144/1	0.341	0.020	
			231-232/1	0.077	0.045	
			234-235/1/1	2.505	0.129	
			228/1/1	0.575	0.024	
			228/2/1	0.154	0.024	
			226/2	0.510	0.045	
			226/1	0.514	0.041	
			58	0.619	0.142	
			59	0.154	0.024	
			56/1/2/1	2.023	0.181	
			56/1/1/2	1.214	0.065	
			56/1/1/1	0.809	0.061	
			40/1	3.007	0.348	
			63	3.561	0.182	
			30/2	1.331	0.032	
			33	1.866	0.016	
			32	1.238	0.069	
			87/1	0.821	0.234	
			87/2/1	0.202	0.073	
		पनारी	178/2/2	3.031	0.101	
			178/2/1	2.428	0.238	
			148	4.087	0.348	
			162/4	4.208	0.376	
			149	0.633	0.032	
			150/1	1.922	0.161	
			134/3	1.840	0.024	
			134/2	1.840	0.352	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			143/1	2.023	0.130	
			143/2	2.023	0.161	
			143/3	2.023	0.016	
			71/2	1.214	0.097	
			143/4/1	4.140	0.215	
			180/143	0.028	0.028	
			181/143	0.077	0.024	
			141	1.728	0.041	
			136/1/1	0.809	0.081	
			136/2/1	1.214	0.105	
			136/1/2	1.667	0.223	
			136/2/2	0.741	0.089	
			79/2	1.214	0.121	
			79/1/2	2.023	0.150	
			81/2	2.829	0.223	
			81/1	1.356	0.008	
			57/4	0.716	0.121	
			94/1	0.409	0.041	
			57/3	0.607	0.081	
			93/2	0.360	0.053	
			57/2	0.680	0.036	
			93/1	0.364	0.032	
			57/1	0.716	0.032	
			58/1	2.226	0.036	
			28	4.030	0.214	
			7/1/1	1.101	0.105	
			7/1/2	0.502	0.045	
			7/1/3	0.340	0.024	
			5/2	0.162	0.024	
			5/1	1.015	0.093	
			7/1/4	0.502	0.073	
			131/1	1.574	0.135	
			131/2	0.809	0.032	
			130	1.339	0.045	
			83/2	1.335	0.101	
			83/1	1.214	0.130	
			85/3	0.482	0.081	
			87	0.316	0.032	
			88	0.437	0.024	
			133/3	1.015	0.089	
			79/1/1/1	1.263	0.077	
			133/2	1.015	0.069	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			79/1/1/3	0.943	0.032	
			133/1	1.011	0.073	
			79/1/1/2	1.323	0.069	
			85/1	0.987	0.053	
			143/4/2	0.737	0.016	
			71/1	1.194	0.065	
			187/14	2.051	0.012	
		बिजौरा	188	1.108	0.060	
			197	0.837	0.084	
			198	0.223	0.010	
			16/2	5.665	0.230	
			189/2/2	1.056	0.290	
			356/197	0.267	0.010	
			203	0.129	0.070	
			204	0.045	0.002	
			205	0.158	0.096	
			183, 207/3	0.506	0.060	
			152	0.138	0.064	
			150	0.077	0.050	
			149/1	0.073	0.040	
			183, 207/4	0.506	0.030	
			183, 207/2	0.506	0.080	
			183, 207/1	0.369	0.064	
			180	0.117	0.036	
			178/2	0.226	0.060	
			354/178	0.162	0.090	
			172	0.093	0.002	
			169	0.202	0.004	
			170	0.004	0.004	
			171/1	0.142	0.080	
			171/2/2	0.073	0.002	
			151	0.133	0.008	
			148	0.611	0.040	
			54/2/3/2/2	0.619	0.016	
			54/2/2/1	0.478	0.093	
			54/2/2/2	0.506	0.283	
			54/1/2	0.389	0.024	
			17/1	0.805	0.170	
			17/2	0.805	0.100	
			69/3	0.977	0.164	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			64	0.346	0.040	
			63	0.210	0.020	
			57/1	0.540	0.036	
			57/2	0.540	0.036	
			57/3	0.543	0.040	
			56/3/2/1	0.405	0.081	
	वीरपुर		589	0.154	0.030	
			591	1.445	0.200	
			590	0.409	0.050	
			580/2	0.817	0.110	
			579	1.347	0.200	
			883/579	1.012	0.116	
			459	0.121	0.040	
			153/2/1	1.676	0.097	
			458, 462/3	1.093	0.134	
			67	1.622	0.110	
			65	1.983	0.156	
			878/473	1.413	0.036	
			281	0.890	0.100	
			561	2.715	0.300	
			564	0.190	0.010	
			536	0.129	0.012	
			535	0.105	0.036	
			530	1.193	0.036	
			529	4.439	0.250	
			484/2/1	1.643	0.210	
			484/2/2	1.243	0.080	
			161	1.246	0.188	
			283	0.837	0.136	
			537	0.858	0.360	
			110/1/2	0.938	0.008	
			457	1.259	0.220	
			460	0.514	0.080	
			416,417	0.502	0.150	
			467/1	0.833	0.080	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			421/1	0.934	0.180	
			424	0.089	0.120	
			900/431/1	0.723	0.128	
			423/2	1.263	0.096	
			423/1	1.262	0.164	
			367/1	0.405	0.110	
			368, 369	1.080	0.090	
			284/2	0.486	0.004	
			372	0.259	0.060	
			275/2	0.405	0.084	
			274	3.456	0.132	
			275/1	1.870	0.110	
			111/4	1.080	0.004	
			64/2	1.780	0.130	
			63/1	1.133	0.160	
			84/1	0.283	0.008	
			110/1/1	0.405	0.148	
			145/2	1.255	0.072	
			100/1	0.461	0.080	
			100/2	0.465	0.040	
			371/2/2	3.153	0.180	
			99	4.832	0.180	
			98	1.931	0.090	
			93	6.682	0.390	
			97	0.647	0.050	
			146	1.631	0.004	
			85/1	0.559	0.064	
			110/2/2	2.574	0.144	
			63/2	1.133	0.132	
			88	0.587	0.012	
			85/2	2.177	0.278	
			90	0.648	0.121	
			159/2	1.566	0.080	
			153/2/2	0.109	0.024	
			153/1	1.445	0.145	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		बेरखेडी टप्पा	32	2.047	0.110	
		सुनेहरा	36	0.364	0.040	
			37/2	1.051	0.104	
			18,25/2/2	1.367	0.096	
			24/2	0.405	0.004	
			26/2	0.405	0.004	
			18-25/2/1	0.551	0.008	
			24/1	0.562	0.008	
			51/3	1.530	0.040	
			34	2.509	0.088	
			38	0.724	0.008	
			44/3	0.538	0.032	
			50/2	1.177	0.100	
			50/3	0.927	0.004	
			50/1	0.449	0.044	
		कुल योग . .		23.961		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 27 जनवरी 2011

क्र. 960-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	गंधवानी	इंदला	6.685	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मनावर.	इंदला तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु भूमि.

3. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 13 जनवरी 2011

क्र.-50-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—पचम्बा, प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.700 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/1/4	0.300
15	0.060
73	0.280
74/1/1	0.345
74/2	0.120
84/1/1	0.235
84/1/2	0.210
85	0.330
86/1	0.022
86/2	0.263
86/3	0.125
91	0.130
98/2	1.200
98/6	0.160
99	0.270
116/1	0.650
कुल योग :	4.700

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 13 जनवरी 2011

प्र. क्र.-2-अ-82-09-10-41.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—टोंकखुर्द
(ग) ग्राम—चाँदगढ़
(घ) क्षेत्रफल—0.476 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1258	0.156
1259	0.056
1266	0.264
योग :	0.476

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चाँदगढ़ तालाब की नहर निर्माण होने से.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.-3-अ-82-09-10-48.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन—		1186	0.048
(क) जिला—देवास		1182	0.204
(ख) तहसील—टोंकखुर्द		683	0.21
(ग) ग्राम—बालोन		687	0.063
(घ) क्षेत्रफल—2.772 हेक्टेयर.			योग : 2.772

सर्वे नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
548/2	0.060
577	0.129
576	0.054
575	0.045
574	0.084
570	0.060
568	0.072
565	0.042
567	0.054
564/3	0.066
652	0.123
660	0.060
569	0.105
758	0.045
753	0.024
754	0.174
924	0.021
925	0.025
926	0.025
927	0.010
929	0.042
1194	0.048
942	0.126
943	0.102
1235	0.126
1234	0.132
1225	0.066
1226	0.045
1227	0.039
1224	0.024
1223	0.027
1222	0.087
1195/1	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—चाँदगढ़ तालाब की नहर निर्माण होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ एवं कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन विभाग, देवास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पलतासिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2011

प्र. क्र.-01-अ-82-10-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधि. स. 68 सन् 1984 की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—खुड़ावल, प. ह. नं. 67, नं. बं. 163
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.05 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
806	0.02
784	0.03
	योग : 0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—दर्शनी डायरेक्ट मा. की सब मा. क्रं. 2 के कारण.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्रं. 2, बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-02-अ-82-10-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) एवं अधि. स. 68 सन् 1984 की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—उमरिया, प. ह. नं. 67, नं. बं. 46
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.16 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
99	0.06
183	0.04
184	0.03
208	0.03
योग : <u>0.16</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—उमरखिड़िया माइनर क्रं. 1, नहर निर्माण के कारण।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्रं. 2, बरगी हिल्स जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 14 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्र. क्र.-10-अ-82-10-11 नस्ती क्र. 320-2010-एलए.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1994) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त

भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—इनपुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.881 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
36/1	0.21
36/2	0.21
48	0.25
46	0.15
47	0.18
59	0.26
63/1	0.27
63/2	0.11
185	0.26
182	0.08
181	0.16
180	0.12
179	0.18
178	0.11
176	0.41
189	0.14
190	0.09
191	0.04
140	0.09
138	0.09
139/1	0.12
139/2	0.15
139/3	0.01
123	0.06
122	0.21
121	0.21
118/1	0.49
118/2	0.22
192	0.001

कुल योग : 4.881

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बड़वाह-सनावद बायपास निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन प्र. क्र.-11-अ-82-10-11 नस्ती क्र. 320-2010-एलए.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—मोरघड़ी
(घ) अर्जित रकबा—1.35 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
767	0.53
769/2	0.14
769/3	0.09
768/2	0.06
769/4	0.37
768/1	0.01
770/1	0.15

कुल योग : 1.35

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बड़वाह-सनावद बायपास निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ओल्ड पलासिया, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र.-175-भू-अ. अ.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,

सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—तेंदूखेड़ा
(ग) ग्राम—धनेटामाल, प. ह. नं. 15
(घ) क्षेत्रफल—1.52 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
45/5 में से	0.60
40 में से	0.30
557 में से	0.05
559 में से	0.06
564/1 में से	0.03
564/2 में से	0.08
564/3 में से	0.04
569 में से	0.10
570/1 में से	0.06
570/2 में से	0.04
570 में से	0.10
279 में से	0.06

योग : 1.52

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 21 जनवरी 2011

प्र. क्र.-6-अ-82-09-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (3) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त इसके द्वारा, यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

	(1)	(2)	(3)
अनुसूची	46/2	3.237	0.362
(1) भूमि का वर्णन—	47/2	5.897	0.339
(क) जिला—रायसेन	102/1	1.619	0.158
(ख) तहसील—उदयपुरा	109/1	2.428	0.181
(ग) ग्राम—मनकापुर, गेरुआ	3/1/1	0.097	0.010
(घ) रकबा—8.920 हेक्टेयर.	3/1/2	2.428	0.255
सर्वे क्रमांक (1)	कुल रकबा (हेक्टर में) (2)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (3)	
			3/2
			2.525
			0.265
			3/3/1
			0.097
			0.010
			3/3/2
			1.214
			0.102
			4/1
			0.044
			0.044
			52/2/1
			2.962
			0.163
4	1.692	0.128	4/2
			1.619
20	3.084	0.447	11/1
			1.619
22	0.441	0.134	12/1
			3.569
24	0.283	0.065	12/2
			1.821
101	6.062	0.195	52/2/2
			1.619
5	11.104	1.300	25/1
			4.047
10/1/1	1.619	0.160	25/2/1/1
			2.023
10/1/2	5.665	0.534	36/1/1
			3.048
10/2	7.268	0.282	36/1/2
			3.047
17	7.519	0.331	36/2/1
			2.687
18	3.084	0.254	36/2/2
			2.853
19	0.445	0.116	
			8.920
23	1.283	0.018	
25	0.996	0.083	
27	1.186	0.086	
28	0.243	0.074	
29	0.223	0.149	
46/1/4	0.405	0.045	
46/1/6	0.405	0.045	
46/1/7	0.405	0.045	
46/1/8	0.405	0.045	
46/1/9	0.405	0.045	
46/1/13	0.405	0.045	
46/1/14	0.405	0.045	
46/1/15	0.405	0.045	
46/1/18	0.405	0.045	
47/1	14.163	0.650	
106/2	5.018	0.325	
			शासकीय रकबा ग्राम—मनकापुर
			16
			1.352
			0.049
			30
			0.567
			0.007
			ग्राम—गेरुआ
			52/1
			0.040
			0.037
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मनकापुर जलाशय नहर हेतु.
			(3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है.
			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
			रायसेन, दिनांक 25 जनवरी 2011
			प्र. क्र.-4-अ-82-09-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

	(1)	(2)
	275	0.101
	276	0.162
अनुसूची	315	0.138
		योग . . . <u>1.315</u>
(1) भूमि का वर्णन—हलाली परियोजना का जल स्तर बढ़ाने हेतु.	273/2/3	0.544
	273/2/4	0.547
(क) जिला—रायसेन	273/2/5	0.547
(ख) तहसील—रायसेन	273/2/6	0.547
(ग) ग्राम—नीनोद, कायमपुर, खेजडा	71	1.214
(घ) लगभग क्षेत्रफल—122.409 हेक्टेयर.	72	0.100
		योग . . . <u>1.314</u>
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	
	ग्राम—नीनोद	
59/1/1	1.604	329/1
331/2	0.405	329/2
	योग . . . <u>2.009</u>	330/1
		योग . . . <u>1.497</u>
59/1/2	0.506	330/2
331/1	0.809	333
324	0.174	334/1
325	0.178	273/2/7
	योग . . . <u>1.667</u>	273/2/8
		292/1
60/1	1.500	295
317	0.210	309
	योग . . . <u>1.710</u>	योग . . . <u>0.283</u>
		296/1
65/1/2	1.350	280/1
69/2	1.214	
		योग . . . <u>0.103</u>
70	1.989	296/2
318	0.073	280/2
316	0.117	
		योग . . . <u>0.104</u>
322	0.154	297
314	0.061	298
323	0.154	306
	योग . . . <u>0.559</u>	467
		468/1
277	0.081	
326	0.295	
		योग . . . <u>4.396</u>
327	0.267	299
328	0.271	301
		योग . . . <u>0.113</u>
		योग . . . <u>0.061</u>

(1)	(2)	(1)	(2)
302	0.045	490/2	0.651
308	0.020	499/1	1.000
योग . .	<u>0.065</u>	योग . .	<u>1.651</u>
469/1/2	3.279	491	0.372
303	0.041	500/1	1.214
304	0.065	500/2	2.459
307	0.020	कुल योग . .	<u>54.607</u>
466	0.178	ग्राम—कायमपुर	
471	0.134	40	0.209
472	0.866	44/1	1.000
योग . .	<u>4.583</u>	72/1	1.619
310	0.150	112/1/1	1.651
278	0.041	112/1/2	0.809
312	0.263	115	1.214
313	0.105	114/1	2.112
योग . .	<u>0.368</u>	योग . .	<u>3.326</u>
119/1	0.500	125	1.214
119/2	0.500	126	0.514
119/3	0.400	127/1/1	0.809
123	0.500	127/2	1.359
125/1	0.010	127/3	1.364
127	0.348	128	4.488
योग . .	<u>0.358</u>	128	4.488
125/2	0.050	195	0.142
128	0.093	196	0.085
योग . .	<u>0.143</u>	199	0.255
131/1	0.365	योग . .	<u>4.970</u>
469/1/1	0.809	129/1	1.323
470/1	6.635	235/1/1	1.347
489/1/1	0.283	योग . .	<u>2.670</u>
490/1/1	0.607	129/2	0.800
योग . .	<u>0.890</u>	132	1.056
489/1/2	1.214	137	0.600
489/2	1.500	योग . .	<u>1.656</u>
490/1/2	0.045	133	3.726
499/2	0.632	134/1	1.491
योग . .	<u>0.677</u>	134/2	1.492
		177	0.594
		187	0.700
		190	0.050
		192	0.400
		योग . .	<u>0.450</u>

(1)	(2)
218/1	1.214
240	0.089
242/1	0.202
219/5	1.700
219/6	0.193
योग . .	<u>3.398</u>
219/3/1	0.200
219/3/2	0.200
219/4	0.708
229/2	0.809
232/1	0.405
242/2	0.695
योग . .	<u>1.100</u>
232/2	0.809
239	0.263
योग . .	<u>1.072</u>
235/1/2	1.334
235/1/3	1.347
235/2	4.047
235/3/1	0.939
235/3/2	0.939
235/3/3	0.942
235/3/4	0.943
236/1/1	1.922
236/1/2	1.923
237	0.250
योग . .	<u>2.173</u>
238	1.505
241	0.113
243/3	2.740
243/4	1.053
243/2/2/2	0.300
243/2/2/1	1.130
243/1/2/1	0.640
योग . .	<u>1.770</u>
243/1/2/2	0.405
243/1/1	0.809
243/1/3	0.282
योग . .	<u>63.473</u>
ग्राम—खेजड़ा	
32/1	0.687
33/2	1.214
योग . .	<u>1.901</u>
33/1	1.214
35	1.214
कुल योग	<u>4.329</u>
महायोग	<u>112.409</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम नीनोद, कायमपुर, खेजड़ा में हलाली परियोजना का जल स्तर बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.एल. मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 24 जनवरी 2011

क्र.-300-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा-6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इंदौर
(ख) तहसील—सांवेर
(ग) नगर/ग्राम—हरियाखेडी
(घ) कुल क्षेत्रफल—0.063 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
27	0.063
	योग : 0.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम उजालिया के समीप गंभीर नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु अर्जन बाबद.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इंदौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. रा.-10-11-14.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु रेवा कृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	जबलपुर/शहपुरा	फैक्ट्री गेट	51	492.97
2	जबलपुर/पाटन	फैक्ट्री गेट	36	238.58
3	नरसिंहपुर/गोटेगांव	फैक्ट्री गेट	108	956.21
			योग . .	1687.76

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का एक संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

क्र. (1)	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम (2)	तहसील (3)	जिला (4)	गन्ना का क्षेत्रफल (हे.) (5)	संभावित उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 (क्वि. / हे.) (6)	पैराई हेतु गन्ना (क्विंटल) उत्पादन का 53% (7)	फैक्ट्री से दूरी/ कि.मी. (8)
1	पौड़ी (फाटक)	शहपुरा	जबलपुर	2.05	1025	543.25	2
2	घुन्सौर	शहपुरा	जबलपुर	4.36	2180	1155.4	2
3	कैथरा	शहपुरा	जबलपुर	4.31	2155	1142.15	4
4	गंजकटंगा	शहपुरा	जबलपुर	5.61	2805	1486.65	5
5	खैरी	शहपुरा	जबलपुर	2.92	1460	773.8	5
6	किसरोद	शहपुरा	जबलपुर	0.18	90	47.7	6
7	मगरमुहा	शहपुरा	जबलपुर	7.23	3615	1915.95	7
8	नटवारा	शहपुरा	जबलपुर	0.55	275	145.75	7
9	लुहार्रा	शहपुरा	जबलपुर	1.28	640	339.2	8
10	सहजपुर	शहपुरा	जबलपुर	7.54	3770	1998.1	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	रामघाट (पिपरीया)	शहपुरा	जबलपुर	0.23	115	60.95	9
12	बिजना	शहपुरा	जबलपुर	0.36	180	95.4	9
13	महगवा सगड़ा	शहपुरा	जबलपुर	3.87	1935	1025.55	10
14	बिलपटार	शहपुरा	जबलपुर	4.56	2280	1208.4	10
15	उमरिया	शहपुरा	जबलपुर	36.05	18025	9553.25	11
16	मनगंवा	शहपुरा	जबलपुर	3.5	1750	927.5	12
17	ठुठा (मानसनगर)	शहपुरा	जबलपुर	0.77	385	204.05	12
18	बिलखिरवा	शहपुरा	जबलपुर	0.44	220	116.6	13
19	मटवारा	शहपुरा	जबलपुर	7.62	3810	2019.3	13
20	जमुनिया (ज्वाप)	शहपुरा	जबलपुर	6.77	3385	1794.05	15
21	फूलर	शहपुरा	जबलपुर	1.9	950	503.5	15
22	करहैया	शहपुरा	जबलपुर	2.59	1295	686.35	16
23	इमलिया (मानेगांव)	शहपुरा	जबलपुर	0.47	235	124.55	17
24	मनकेड़ी	शहपुरा	जबलपुर	36.42	18210	9651.3	19
25	तेवर पिपरीया	शहपुरा	जबलपुर	4.96	2480	1314.4	20
26	कुसली	शहपुरा	जबलपुर	37.39	18695	9908.35	24
27	सुनाचर	शहपुरा	जबलपुर	35.47	17735	9399.55	25
28	गुंदरई	शहपुरा	जबलपुर	0.2	100	53	25
29	मैली	शहपुरा	जबलपुर	17.03	8515	4512.95	26
30	बेलखेड़ा	शहपुरा	जबलपुर	0.87	435	230.55	26
31	हिनोतिया	शहपुरा	जबलपुर	6.83	3415	1809.95	27
32	मातनपुर	शहपुरा	जबलपुर	11.14	5570	2952.1	28
33	बिहारीपुरा	शहपुरा	जबलपुर	2.94	1470	779.1	30
34	सुन्द्रादेही	शहपुरा	जबलपुर	17.51	8755	4640.15	30
35	गोकला	शहपुरा	जबलपुर	11.79	5895	3124.35	32
36	मेरे गांव	शहपुरा	जबलपुर	12.11	6055	3209.15	34
37	बेलखेड़ी	शहपुरा	जबलपुर	40.24	20120	10663.6	34
38	बसेड़ी	शहपुरा	जबलपुर	27.15	13575	7194.75	34
39	कुडाकंला	शहपुरा	जबलपुर	4.9	2450	1298.5	35
40	बरपटी	शहपुरा	जबलपुर	2.67	1335	707.55	35
41	पावला	शहपुरा	जबलपुर	52.1	26050	13806.5	35
42	जुगपुरा	शहपुरा	जबलपुर	0.86	430	227.9	37
43	पाथर पौडी	शहपुरा	जबलपुर	1.75	875	463.75	38
44	दलपतपुर	शहपुरा	जबलपुर	5.24	2620	1388.6	40
45	कुलोन (बिजना)	शहपुरा	जबलपुर	1.24	620	328.6	46
46	इमलिया (ललपुर)	शहपुरा	जबलपुर	9.35	4675	2477.75	48
47	बिजना	शहपुरा	जबलपुर	1.66	830	439.9	48
योग . .				492.97	246485	130637.05	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का एक संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	तहसील	जिला	गन्ना का क्षेत्रफल (हे.)	संभावित उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 (क्वि. / हे.)	पेराई हेतु गन्ना (क्विंटल) उत्पादन का 53%	फैक्ट्री से दूरी/ कि.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	धनेटा	पाटन	जबलपुर	3.38	1690	895.7	10
2	म्बारी	पाटन	जबलपुर	8.9	4450	2358.5	11
3	पाटन	पाटन	जबलपुर	2.5	1250	662.5	15
4	सिन्गोरी	पाटन	जबलपुर	13.05	6525	3458.25	16
5	अमरपुर	पाटन	जबलपुर	18.63	9315	4936.95	17
6	भोरदा	पाटन	जबलपुर	1.68	840	445.2	20
7	सरखण्डी	पाटन	जबलपुर	7.29	3645	1931.35	20
8	नीमी	पाटन	जबलपुर	6.19	3095	1640.35	22
9	रोसरा	पाटन	जबलपुर	1.05	525	278.25	23
10	छितुरहा	पाटन	जबलपुर	3.27	1635	866.55	25
11	उजरोड	पाटन	जबलपुर	9.45	4725	2504.25	28
12	हटेपुरकला	पाटन	जबलपुर	3.06	1530	810.9	28
13	आगासोद	पाटन	जबलपुर	4.24	2120	1123.6	30
14	बेनीखेड़ा	पाटन	जबलपुर	0.85	425	225.25	30
15	राजघाट (पौडी)	पाटन	जबलपुर	3.7	1850	980.5	30
16	पडरिया (ब्योहारी)	पाटन	जबलपुर	11.71	5855	3103.15	30
17	कटिया लुहारी	पाटन	जबलपुर	1.37	685	363.05	31
18	पडरिया (धुआ)	पाटन	जबलपुर	1.12	560	296.8	32
19	मझगंवा	पाटन	जबलपुर	4.62	2310	1224.3	32
20	आरछा	पाटन	जबलपुर	15.29	7645	4051.85	32
21	कैथरा	पाटन	जबलपुर	0.48	240	127.2	32
22	भर्ना	पाटन	जबलपुर	7.51	3755	1990.15	32
23	मोहला	पाटन	जबलपुर	7.96	3980	2109.4	34
24	थुआ	पाटन	जबलपुर	4.99	2495	1322.35	35
25	भरतरी	पाटन	जबलपुर	3.56	1780	943.4	37
26	करारी	पाटन	जबलपुर	6.76	3380	1791.4	38
27	रसुईया	पाटन	जबलपुर	6.46	3230	1711.9	40
28	भिलोदा	पाटन	जबलपुर	1.67	835	442.55	42
29	भिड़की	पाटन	जबलपुर	1.6	800	424	42
30	दौनी	पाटन	जबलपुर	19.94	9970	5284.1	42
31	गनयारी	पाटन	जबलपुर	12.51	6255	3315.15	43
32	मुर्इ	पाटन	जबलपुर	6.81	3405	1804.65	44
33	खजरी	पाटन	जबलपुर	20.38	10190	5400.7	45
34	कटंगी	पाटन	जबलपुर	8.02	4010	2125.3	45
35	नेगई	पाटन	जबलपुर	3.55	1775	940.75	48
36	बघोरी	पाटन	जबलपुर	5.03	2515	1332.95	50
			योग	238.58	119290	63223.7	

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा (भिटौनी), जबलपुर
(आकृति समूह का एक संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2010-11 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	तहसील	जिला	गन्ना का क्षेत्रफल (हे.)	संभावित उत्पादन कुल (क्विंटल) 500 क्विं./हे.	पेराई हेतु गन्ना (क्विंटल) उत्पादन का 53%	रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.	महाकौशल शुगर फैक्ट्री (बचई) से दूरी कि. मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	झांसीघाट	गोटेगांव	नरसिंहपुर	13.92	6960	3688.8	18	51
2	बेलखेड़ी (झांसीघाट)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	14.78	7390	3916.7	16	56
3	खमरीया (झांसीघाट)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	33.33	16665	8832.45	20	49
4	देगुंवा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	29.52	14760	7822.8	20	53
5	रिमझा (खमरिया)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	6.06	3030	1605.9	22	50
6	मालीवाडा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	29.21	14605	7740.65	23	46
7	सिलारी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	17.8	8900	4717	23	52
8	नोनी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	48.6	24300	12879	23	50
9	बुढ़ीमवई	गोटेगांव	नरसिंहपुर	10.6	5300	2809	24	53
10	कंजई	गोटेगांव	नरसिंहपुर	28.95	14475	7671.75	24	45
11	पिपरपानी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	10.62	5310	2814.3	25	46
12	करेली (कला)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	15.79	7895	4184.35	25	42
13	कुम्हडाखेडा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	5.26	2630	1393.9	25	38
14	गोटेगांव	गोटेगांव	नरसिंहपुर	7.28	3640	1929.2	25	40
15	बुघगांव	गोटेगांव	नरसिंहपुर	2.25	1125	596.25	25	55
16	कुमझोर	गोटेगांव	नरसिंहपुर	8.09	4045	2143.85	25	50
17	सालीवाड़ा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	29.55	14775	7830.75	26	49
18	उमरी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.2	100	53	27	59
19	कुक्लाह	गोटेगांव	नरसिंहपुर	17.41	8705	4613.65	27	51
20	गर्रा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	3.5	1750	927.5	27	45
21	मोहास	गोटेगांव	नरसिंहपुर	101.22	50610	26823.3	28	48
22	भुंवारा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	28	50
23	करोंदी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.4	200	106	28	46
24	पड़रिया (मुर्ई)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	1	500	265	28	44
25	बगलई (तिघरा)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	36	18000	9540	28	47
26	राखी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	11.3	5650	2994.5	28	52
27	रहेली (गोटेगांव)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	30.36	15180	8045.4	28	46
28	पड़रिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	1	500	265	29	45
29	कांचर (कला)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	29	41
30	जमुनिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	14.58	7290	3863.7	30	48
31	बगलई	गोटेगांव	नरसिंहपुर	2.43	1215	643.95	30	47
32	अतरिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	24.69	12345	6542.85	30	45
33	पोनिया (गोटेगांव)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	36.03	18015	9547.95	30	50
34	चरगँवा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	25.1	12550	6651.5	30	49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
35	भैंसा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	8	4000	2120	30	54
36	बढैयाखेड़ा (परसबाड़ा)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	30.36	15180	8045.4	30	54
37	परसवाड़ा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	17.8	8900	4717	30	50
38	हिड़की	गोटेगांव	नरसिंहपुर	2	1000	530	30	44
39	चिंदवाड़ा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	30	46
40	पिपरिया (चौधरी)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	1.5	750	397.5	30	43
41	मुड़ीया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	2.8	1400	742	30	50
42	मवई	गोटेगांव	नरसिंहपुर	13.7	6850	3630.5	30	52
43	तिघरा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	3	1500	795	30	47
44	सहजपुरा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	31	43
45	बरोदा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	32	47
46	कुशीवाड़ा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	5.26	2630	1393.9	32	48
47	सिमरिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	26.31	13155	6972.15	32	45
48	देवरीकला	गोटेगांव	नरसिंहपुर	7.68	3840	2035.2	32	52
49	रिमिझा (देवरी)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	5.2	2600	1378	32	55
50	देवरी (रिमिझा)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	1	500	265	33	56
51	कमती	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.4	200	106	33	35
52	रोता	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.2	100	53	33	40
53	लम्हेटी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.2	100	53	34	45
54	रिमिझा (गोटेगांव)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	26.72	13360	7080.8	35	54
55	कमती (पिडरई)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.25	125	66.25	35	51
56	मेहका गाड़ाघाट	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.2	100	53	35	44
57	बहरोरा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.15	75	39.75	35	47
58	पिपरिया (मनकवारा)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.1	50	26.5	35	48
59	सहोजनी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.2	100	53	35	53
60	चरगुवा (दपकिया)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	36	53
61	सर्रा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	36	48
62	सिमरी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.1	50	26.5	36	58
63	पिपरसरा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.15	75	39.75	36	56
64	हिनोता	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.2	100	53	36	57
65	पिपरिया (बाजारशुक्र)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.2	100	53	36	55
66	भडरी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	89.07	44535	23603.55	37	51
67	दपकिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	17.01	8505	4507.65	37	52
68	मेंहगवा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.25	125	66.25	37	48
69	जामुनपानी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.1	50	26.5	37	57
70	शुकरी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.1	50	26.5	37	56
71	बड़खेड़ा (भिडुंकी)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.1	50	26.5	37	55
72	नरवारा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	2	1000	530	38	52
73	कामती	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.15	75	39.75	38	52
74	लाटगांव	गोटेगांव	नरसिंहपुर	8.5	4250	2252.5	38	53
75	कुडा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	38	55
76	ओरिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	38	53

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
77	कोरेगांव	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.15	75	39.75	38	60
78	अंडिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	38	59
79	अनंतपुर	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	39	56
80	पथरिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.15	75	39.75	39	55
81	श्यामनगर	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.2	100	53	39	53
82	दौन	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.25	125	66.25	39	58
83	बगलई (ललपुर)	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	39	57
84	उमरिया	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	39	54
85	तरवारा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.4	200	106	40	52
86	बढैयाखेड़ा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	59.92	29960	15878.8	40	52
87	मंडी	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.1	50	26.5	40	57
88	मनकवारा	गोटेगांव	नरसिंहपुर	0.5	250	132.5	42	54
योग . .				956.21	549880	291436.4		
महायोग . .				1687.76				

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. रा.-10-11-16.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु रामदेव शुगर प्रायवेट लि. ठैनी बनखेड़ी, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला/ब्लाक (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	होशंगाबाद/बनखेड़ी	फैक्ट्री गेट	3	162.4
2	होशंगाबाद/पिपरिया	फैक्ट्री गेट	119	4449.2
योग . .			122	4611.6

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे।

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी, बनखेड़ी

गन्ना क्षेत्र आरक्षण रकबा

पिराई सत्र 2010 से 2011

क्रमांक (1)	गांव का नाम (2)	नोरपा हेक्टर (3)	जड़ी हेक्टर (4)	त्रिजड़ी हेक्टर (5)	कुल रकबा हेक्टर (6)	क्रय केन्द्र फैक्ट्री गेट (7)
1	ठैनी	20	27.6	8	55.6	फैक्ट्री गेट
2	लामटा	28.8	49.2	2.8	80.8	फैक्ट्री गेट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	मनकवाड़ा	34	33.6	4.4	72	फैक्ट्री गेट
4	रहटवाड़ा	56.8	109.2	5.2	171.2	— " —
5	खापा	7.6	10.8	0.4	18.8	— " —
6	नंगवाड़ा	56.8	14	-	70.8	— " —
7	खर्चली	2	4.4	-	6.4	— " —
8	जोगीवाड़ा	4.4	7.6	-	12	— " —
9	दहलवाड़ा	8.4	4.4	1.6	14.4	— " —
10	कोठरी	0.8	1.2	-	2	— " —
11	केंकरा	18.4	7.2	0.8	26.4	— " —
12	पीपरपानी	122.4	32.4	-	154.8	— " —
13	जुन्हेटा	26	13.6	-	39.6	— " —
14	कामती	23.6	37.6	0.8	62	— " —
15	पथरकुही	32.4	14.4	2.4	49.2	— " —
16	पलिया पिपरिया	41.2	24.8	2	68	— " —

सेन्टर-बाचावानी

17	बाचावानी	72.4	144	6.8	223.2	फैक्ट्री गेट
18	कुर्सीदाना	6.8	1.6	0.8	9.2	— " —
19	पौंडी	2	0.4	-	2.4	— " —
20	बघेड़ी	3.2	-	-	3.2	— " —
21	कजियाखेड़ा	8.8	8	-	16.8	— " —
20	बघेड़ी	3.2	-	-	3.2	— " —
22	आंध्रा	43.6	42	1.6	87.2	— " —
23	सिंगपुर	16	36	2	54	— " —
24	बनखेड़ी	17.6	26	-	43.6	— " —
25	बेरखेड़ी	11.2	9.6	-	20.8	— " —
26	दहलवाड़ा खुर्द	3.6	8.8	-	12.4	— " —
27	बिछुआ	6.4	20	0.4	26.8	— " —
28	पडरई	9.2	19.6	0.4	29.2	— " —
29	कलकुही	41.2	53.6	7.2	102	— " —
30	पांजरा	20	35.6	0.8	56.4	— " —
31	महुआखेड़ा	11.6	4.8	-	16.4	— " —
32	मैदाखेड़ा	60	64	-	124	— " —
33	केमदाना	3.6	26.8	-	30.4	— " —

सेन्टर-मालहनवाड़ा

34	तिंदवाड़ा	9.2	11.4	-	20.6	— " —
35	मछेराखुर्द	34.4	39	7.2	80.6	— " —
36	मछेराकलां	59.2	44.6	-	103.8	— " —
37	मल्हनवाड़ा	36.6	44	-	80.6	— " —
38	पनागर	7.2	7.4	1.6	16.2	— " —
39	ढाना (पनागर)	4.2	-	-	4.2	— " —
40	बहरावन	22.6	14.8	3.2	40.6	— " —
41	परसवाड़ा	19.8	38.6	1.6	60	— " —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42	नादना	12	17.4	-	29.4	फैक्ट्री गेट
43	सुरेला रंधीर	20.4	20.4	-	40.8	—''—
44	रिछेड़ा	18.8	7	-	25.8	—''—
45	अन्हार्ई	80.2	27	3.6	110.8	—''—
46	सलैया फज्जू	2	2	0.6	4.6	—''—
47	बारछी	-	0.8	-	0.8	—''—
48	चिल्लौद	26.8	46	0.8	73.6	—''—
49	बंदरझेला	15.6	4.4	2	22	—''—
50	नयाखेड़ा	10.4	11.6	-	22	—''—
51	खमरिया	52	30	0.4	82.4	—''—
52	करैया	14.4	4	-	18.4	—''—
53	राजथरी	24	36.8	1.2	62	—''—
54	बामहनवाड़ा	18	5.6	-	23.6	—''—
55	महगंवा	52	37.6	-	89.6	—''—
56	खैरी किशोर	12	5.6	-	17.6	—''—
57	केसला	0.8	-	-	0.8	—''—
सेन्टर-महगंवा						
58	गरधा	27.2	13.8	-	41	फैक्ट्री गेट
59	ईशरपुर	60.8	58.8	-	119.6	—''—
60	गुंदरई	20.8	16.8	-	37.6	—''—
61	सीरावाड़ा	2.4	10.8	-	13.2	—''—
62	खामखेड़ी	21.2	5.2	-	26.4	—''—
63	चारगांव	11.6	6.6	-	18.2	—''—
64	जासरवानी	7.6	2.4	-	10	—''—
65	कपूरी	12.4	11.8	-	24.2	—''—
66	महुआखेड़ा	8	7.4	-	15.4	—''—
67	अमहोरा	4.8	8.8	-	13.6	—''—
68	आमगांव	-	8.4	-	8.4	—''—
69	जमनिया	4.4	15.6	-	20	—''—
70	खैरी रंधीर	3.6	9.2	-	12.8	—''—
71	पुरैना रंधीर	50.8	43.2	-	94	—''—
72	सेमखेड़ा	1.2	2	-	3.2	—''—
सेन्टर-चाँदौन+इमलिया						
73	चाँदौन	38.4	30.8	-	69.2	फैक्ट्री गेट
74	भैरापुर	44	34.4	-	78.4	—''—
75	करपा	24	52	-	76	—''—
76	निभौरा	28.8	24.8	-	53.6	—''—
77	धारपुरा	4.4	2.4	-	6.8	—''—
78	घुघावाड़ी	2	1.2	-	3.2	—''—
79	कुड़ारी	4.8	3.2	-	8	—''—
80	ईमलिया	46	71.2	-	117.2	—''—
81	पठा	29.6	36	-	65.6	—''—
82	मलकजरा	18.8	24.8	-	43.6	—''—
83	बेदर	7.6			7.6	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
84	राजा पिपरिया	22	16	-	38	फैक्ट्री गेट
85	भाट पिपरिया	13.6	14.8	-	28.4	—''—
86	टाटरा	3.2	-	-	3.2	—''—
87	मुआँर	3.2	3.2	-	6.4	—''—
सेन्टर-उमरधा						
88	उमरधा	39.6	24.4	3.2	67.2	—''—
89	तिन्सरी	38	28.8	-	66.8	—''—
90	पुरैना कलॉ	30.8	24.4	2.4	57.6	—''—
91	समनापुर	12.4	9.6	0.8	22.8	—''—
92	गाडरवारा	19.2	14	2.8	36	—''—
93	बनवारी	2	6	-	8	—''—
94	जुनावानी	5.2	6.4	-	11.6	—''—
95	सलैया किशोर	5.2	2.4	0.8	8.4	—''—
96	बुधनी	3.2	4	4	11.2	—''—
97	गडरोली		2.4	-	2.4	—''—
सेन्टर-बकांज+कन्हवार						
98	रजोला	14.8	36.8	-	51.6	—''—
99	सिंगोड़ी	11.2	42.4	1.6	55.2	—''—
100	सिंगोड़ा		3.2	-	3.2	—''—
101	नयागाँव	1.6	1.6	-	3.2	—''—
102	पोसेरा	6.8	8	-	14.8	—''—
103	महलवाड़ा	4	-	-	4	—''—
104	रामपुर	3.6	-	-	3.6	—''—
105	शोभापुर	2.4	-	4	6.4	—''—
106	गुरमखेड़ी	4	-	-	4	—''—
107	ज्वारा+चौदौन	4	3.2	-	7.2	—''—
108	कन्हवार	10.8	11.2	-	22	—''—
109	सिरपन	16.4	18	-	34.4	—''—
110	खैरूआ	2	7.2	-	9.2	—''—
111	डुंगरिया	19.2	3.6	-	22.8	—''—
112	देवरी	32.8	55.2	-	88	—''—
113	पुनौर	19.6	17.6	-	37.2	—''—
114	उदयपुरा	17.6	4.4	0.4	22.4	—''—
115	शंखनी	1.6	2	-	3.6	—''—
116	खापरखेड़ा	4.8	3.2	-	8	—''—
117	गुरारी	-	0.8	-	0.8	—''—
118	सौजनी	15.6	1.2	1.6	18.4	—''—
119	सेमरीतलॉ	3.2	-	3.2	6.4	—''—
120	माथनी	20	-	4.8	24.8	—''—
121	मुड़ियाखेड़ा	-	-	4.8	4.8	—''—
122	सिवनी	1.6	4	2.4	8	—''—
कुल हेक्टर		2273.8	2230.4	107.4	4611.6	

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2011

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. रा.-10-11-18.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2010-11 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बचई, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	106	3431.60
2	नरसिंहपुर/गोटेगांव	फैक्ट्री गेट	101	3099.90
			योग	6531.50

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

**महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2010-11 हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची
तहसील-नरसिंहपुर**

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	कारखाने से दूरी (कि.मी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @50 टन हेक्टेयर	पैराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	रोपा	जड़ी	मड़ी	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	101	बचई	0	3	4.00	0.00	0.00	4.00	200.00	2.00	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
2	102	करहैया	26	3	36.40	20.80	6.80	64.00	3200.00	32.00	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
3	103	बबरिया	26	3	27.60	8.00	4.00	39.60	1980.00	19.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
4	104	मेहमदपुर	26	4	22.80	21.60	3.20	47.60	2380.00	23.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
5	105	अगरिया	26	4	6.60	2.80	0.40	9.80	490.00	4.90	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
6	106	कन्हारपानी	26	5	15.00	15.60	2.40	33.00	1650.00	16.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
7	107	मुरली पौड़ी	24	5	39.20	35.40	2.00	76.60	3830.00	38.30	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
8	108	चौराखेड़ा	25	5	55.40	72.40	17.80	145.60	7280.00	72.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
9	109	सलैया	25	5	7.60	10.80	1.20	19.60	980.00	9.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
10	110	डागीढाना	24	6	40.40	30.00	3.20	73.60	3680.00	36.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
11	111	बागपौड़ी	24	12	17.00	28.20	1.60	46.80	2340.00	23.40	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
12	112	मुडिया	24	8	14.20	8.80	0.00	23.00	1150.00	11.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
13	113	हनुमंत पौड़ी	24	8	6.60	4.40	0.00	11.00	550.00	5.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
14	114	बैहर पौड़ी	24	8	51.60	55.20	13.20	120.00	6000.00	60.00	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
15	115	डोकरघाट	14	12	24.60	21.60	2.40	48.60	2430.00	24.30	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
16	116	भरवारा	14	13	51.60	29.20	13.20	94.00	4700.00	47.00	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
17	117	खमतरा	20	14	27.00	21.00	10.80	58.80	2940.00	29.40	ट्रेक्टर ट्राली	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	118	पांसी	14	15	16.00	12.00	10.40	38.40	1920.00	19.20	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
19	119	सेमरा (पांजरा)	15	16	22.00	18.40	9.60	50.00	2500.00	25.00	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
20	120	चीलाचौद खुर्द	27	4	27.00	24.60	19.40	71.00	3550.00	35.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
21	121	चीलाचौद कला	23	10	35.20	20.80	5.00	61.00	3050.00	30.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
22	122	समनापुर	27	10	17.20	14.40	5.60	37.20	1860.00	18.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
23	123	सावलरानी	27	12	15.60	12.80	2.60	31.00	1550.00	15.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
24	124	घवई बडगुवा	27	13	4.40	1.20	0.00	5.60	280.00	2.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
25	125	झार-खुरपा	27	13	23.60	23.60	1.40	48.60	2430.00	24.30	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
26	126	नवलगांव	23	13	18.20	6.00	0.00	24.20	1210.00	12.10	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
27	127	रानी पिपरिया	20	13	14.80	7.60	30.00	52.40	2620.00	26.20	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
28	128	सूरजगांव	15	15	33.20	20.00	4.00	57.20	2860.00	28.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
29	129	मगरधा (रोसरा)	20	17	16.00	12.80	1.60	30.40	1520.00	15.20	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
30	130	टापरिया (धवई)	27	17	23.20	12.80	3.20	39.20	1960.00	19.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
31	131	झगराई	20	17	7.20	2.00	0.80	10.00	500.00	5.00	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
32	132	जरजोला	16	18	13.60	9.60	1.60	24.80	1240.00	12.40	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
33	133	गंगई	27	19	4.20	1.60	0.80	6.60	330.00	3.30	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
34	135	संग्रामपुर	14	15	2.80	4.80	0.00	7.60	380.00	3.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
35	136	सहजपुरा	25	18	29.60	18.00	0.00	47.60	2380.00	23.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
36	138	श्यामखेड़ा	25	22	3.40	2.40	0.00	5.80	290.00	2.90	ट्रक	—''—
37	140	लुरेहटा	25	24	6.80	7.60	0.00	14.40	720.00	7.20	ट्रक	—''—
38	154	खुरपा (बडा)	23	10	66.40	40.40	24.80	131.60	6580.00	65.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
39	155	नयाखेड़ा	27	15	4.80	4.00	0.80	9.60	480.00	4.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
40	156	बारूरेवा	27	15	13.00	11.40	4.80	29.20	1460.00	14.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
41	157	रौसरा (नरसिंहपुर)	19	15	0.00	4.80	0.00	4.80	240.00	2.40	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
42	158	बहोरीपार (धुवघट)	23	17	9.20	2.40	1.60	13.20	660.00	6.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
43	159	बासकुवारी	18	18	5.60	0.40	13.60	19.60	980.00	9.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
44	160	सिमरिया (जरजोला)	16	18	0.80	5.20	0.40	6.40	320.00	3.20	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
45	162	खैरी	6	22	3.60	6.80	3.60	14.00	700.00	7.00	ट्रक	—''—
46	163	मेनावारी	22	23	7.60	1.20	6.00	14.80	740.00	7.40	ट्रक	—''—
47	167	सिमरिया (सिंहपुर क्षेत्र)	21	20	4.40	2.80	14.00	21.20	1060.00	10.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
48	168	नदवारा	16	24	5.60	4.20	1.20	11.00	550.00	5.50	ट्रक	—''—
49	169	कुम्हडी	0	24	10.40	5.60	1.20	17.20	860.00	8.60	ट्रक	—''—
50	177	बहादुरपुर	0	0	9.20	13.60	0.00	22.80	1140.00	11.40	ट्रक	—''—
51	201	मुँगवानी	35	15	29.20	15.60	7.60	52.40	2620.00	26.20	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
52	202	भंडारदेव	34	8	8.60	4.00	0.40	13.00	650.00	6.50	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
53	203	बकोरी	34	10	8.80	7.60	4.40	20.80	1040.00	10.40	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
54	204	मढपिपरिया	34	10	14.40	9.20	5.20	28.80	1440.00	14.40	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
55	205	केकडा	34	10	9.20	4.40	0.80	14.40	720.00	7.20	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
56	206	देवनगर	34	12	55.60	39.60	14.80	110.00	5500.00	55.00	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
57	207	भालपानी	34	12	1.20	2.80	2.00	6.00	300.00	3.00	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
58	209	सलैया (देवनगर)	34	13	5.60	1.60	2.40	9.60	480.00	4.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
59	210	पिंडरई (पस्ताना)	33	15	7.60	6.20	0.80	14.60	730.00	7.30	ट्रेक्टर ट्राली	—''—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	211	पस्ताना	35	15	17.60	13.60	4.00	35.20	1760.00	17.60	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
61	212	करहैया (देवनगर)	34	15	27.20	18.80	5.20	51.20	2560.00	25.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
62	213	टोला (मुगवानी)	0	17	4.80	0.40	0.40	5.60	280.00	2.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
63	214	पटनिया	35	18	8.40	8.00	10.00	26.40	1320.00	13.20	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
64	216	मुडरई कला	33	18	3.20	1.60	2.40	7.20	360.00	3.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
65	218	गडरिया	36	18	5.20	4.00	0.00	9.20	460.00	4.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
66	220	खमरिया (देवनगर)	35	22	9.60	6.20	3.20	19.00	950.00	9.50	ट्रक	—''—
67	223	भोती	36	22	12.20	6.40	2.40	21.00	1050.00	10.50	ट्रक	—''—
68	226	नारिया	0	23	1.20	0.00	0.00	1.20	60.00	0.60	ट्रक	—''—
69	227	डुढवारा	37	23	2.80	2.40	0.00	5.20	260.00	2.60	ट्रक	—''—
70	229	कठोतिया (मुगवानी)	22	25	0.40	0.40	0.00	0.80	40.00	0.40	ट्रक	—''—
71	237	लवेरी	0	26	6.40	0.80	0.00	7.20	360.00	3.60	ट्रक	—''—
72	238	लिघारी	0	26	4.80	0.40	0.00	5.20	260.00	2.60	ट्रक	—''—
73	240	गोगावरी	33	27	0.60	2.00	0.00	2.60	130.00	1.30	ट्रक	—''—
74	243	पिपरिया	0	30	0.80	0.00	0.00	0.80	40.00	0.40	ट्रक	—''—
75	245	गोरखपुर	29	35	11.60	9.20	4.80	25.60	1280.00	12.80	ट्रक	—''—
76	253	पाला मुडरई	32	47	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	1.00	ट्रक	—''—
77	254	उसरी	28	50	11.60	11.60	1.60	24.80	1240.00	12.40	ट्रक	—''—
78	267	कछरा	0	0	0.40	0.40	0.40	1.20	60.00	0.60	ट्रक	—''—
79	302	लोकीपार	21	32	14.00	1.60	8.00	23.60	1180.00	11.80	ट्रक	—''—
80	303	कुकवारा	18	26	26.40	12.00	12.80	51.20	2560.00	25.60	ट्रक	—''—
81	308	बरखेडा	21	29	3.20	1.60	10.40	15.20	760.00	7.60	ट्रक	—''—
82	313	कल्यानपुर	22	32	20.00	8.80	26.00	54.80	2740.00	27.40	ट्रक	—''—
83	314	भैसापाला	22	32	17.60	6.40	16.00	40.00	2000.00	20.00	ट्रक	—''—
84	318	नरसिंहपुर	0	16	10.00	6.00	1.60	17.60	880.00	8.80	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
85	407	तिदनी (बम्होरी)	9	35	18.40	4.40	14.40	37.20	1860.00	18.60	ट्रक	धमना
86	415	धमना	10	28	55.60	38.80	53.20	147.60	7380.00	73.80	ट्रक	धमना
87	416	सगोनी (सुपला)	0	28	15.60	6.80	3.20	25.60	1280.00	12.80	ट्रक	धमना
88	417	डुडी-पिडरई	9	29	12.40	6.00	1.60	20.00	1000.00	10.00	ट्रक	धमना
89	419	खापा	10	30	22.40	2.80	18.00	43.20	2160.00	21.60	ट्रक	धमना
90	420	सगोनी (लकडहाउ)	11	30	26.00	19.20	6.00	51.20	2560.00	25.60	ट्रक	धमना
91	421	नयागांव (धमना)	11	30	25.20	7.60	17.60	50.40	2520.00	25.20	ट्रक	धमना
92	422	बम्होरी (तिदनी)	6	32	29.20	14.00	9.60	52.80	2640.00	26.40	ट्रक	धमना
93	424	मचवारा	11	32	32.80	9.60	19.20	61.60	3080.00	30.80	ट्रक	धमना
94	425	घाट-पिडरई	0	34	10.80	8.40	5.20	24.40	1220.00	12.20	ट्रक	धमना
95	427	मुराच	6	36	22.80	12.40	3.20	38.40	1920.00	19.20	ट्रक	धमना
96	428	महादेव-पिपरिया	5	38	12.00	3.60	1.60	17.20	860.00	8.60	ट्रक	धमना
97	429	करहैया (नर्मदा)	6	38	29.20	10.00	8.40	47.60	2380.00	23.80	ट्रक	धमना
98	431	गुटोरी	13	32	8.40	4.00	1.20	13.60	680.00	6.80	ट्रक	धमना
99	432	झिरी	13	32	15.60	11.60	2.80	30.00	1500.00	15.00	ट्रक	धमना
100	434	डोगरगांव	15	32	16.60	11.80	4.00	32.40	1620.00	16.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
101	435	खमरिया (जरजोला)	16	21	25.60	13.20	6.00	44.80	2240.00	22.40	ट्रक	फैक्ट्री गेट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
102	436	मेंहका	28	0	5.60	3.60	0.80	10.00	500.00	5.00	ट्रक	धमना
103	437	घुघरी	0	0	5.20	2.00	0.80	8.00	400.00	4.00	ट्रक	धमना
104	438	करहैयाखेडा	15	0	4.20	2.00	2.40	8.60	430.00	4.30	ट्रक	फैक्ट्री गेट
105	528	चंद्रपुरा	4	40	10.40	14.00	2.80	27.20	1360.00	13.60	ट्रक	धमना
106	532	गडरियाखेडा	4	44	10.00	12.40	0.00	22.40	1120.00	11.20	ट्रक	धमना
योग . .					1907.40	1248.80	694.60	3431.60	192540.00	1925.40		

**महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्ड. लिमिटेड, बचई नरसिंहपुर
गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2010-11 हेतु तहसीलवार ग्रामों की सूची
तहसील-गोटेगांव**

क्रमांक	ग्राम कोड	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	कारखाने से दूरी (कि.मी.)	आच्छादित गन्ना फसल का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			कुल योग (हेक्टेयर में)	उत्पादकता @50 टन हेक्टेयर	पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल (हे.में)	परिवहन का साधन	क्रय केन्द्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	रोपा	जड़ी	मड़ी	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	137	शेड-बेलखेडी	30	20	40.80	35.60	25.00	101.40	5070.00	50.70	ट्रेक्टर ट्राली	फैक्ट्री गेट
2	139	खानापुर	30	23	4.80	2.80	1.60	9.20	460.00	4.60	ट्रक	—''—
3	141	शेड-मगरधा	30	24	40.80	21.60	14.80	77.20	3860.00	38.60	ट्रक	बौछार
4	142	सूरवारी	11	25	35.60	25.20	16.80	77.60	3880.00	38.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
5	143	रीछा	31	25	30.00	27.60	13.60	71.20	3560.00	35.60	ट्रक	—''—
6	144	बेदू	29	27	18.80	8.40	4.80	32.00	1600.00	16.00	ट्रक	—''—
7	145	छीताघाट	30	27	4.80	0.40	2.40	7.60	380.00	3.80	ट्रक	—''—
8	146	नयागांव (रीछा)	31	27	8.40	5.60	4.00	18.00	900.00	9.00	ट्रक	—''—
9	147	बरहटा	31	28	12.40	13.60	8.00	34.00	1700.00	17.00	ट्रक	—''—
10	148	वावली	29	28	8.40	3.20	0.40	12.00	600.00	6.00	ट्रक	—''—
11	149	चिरचिटा	30	28	4.00	1.60	0.00	5.60	280.00	2.80	ट्रक	—''—
12	150	नोनिया (बरहटा)	32	30	2.80	0.80	0.00	3.60	180.00	1.80	ट्रक	—''—
13	151	दौन (कछुआ)	29	32	17.20	9.20	5.60	32.00	1600.00	16.00	ट्रक	—''—
14	152	रौसरा	29	32	3.60	3.60	1.20	8.40	420.00	4.20	ट्रक	—''—
15	217	गाडरवाडा खेडा	33	18	12.40	3.60	1.20	17.20	860.00	8.60	ट्रेक्टर ट्राली	—''—
16	225	सिलवानी	0	23	0.80	0.00	0.00	0.80	40.00	0.40	ट्रक	—''—
17	236	अधियारी	33	26	0.80	0.40	0.00	1.20	60.00	0.60	ट्रक	—''—
18	501	वासनपानी	11	27	82.80	66.00	35.60	184.40	9220.00	92.20	ट्रक	बौछार
19	502	बौछार	10	30	50.40	41.80	13.70	105.90	5295.00	52.95	ट्रक	बौछार
20	503	कन्धगपुर (ठेमी)	8	30	22.80	9.20	5.60	37.60	1880.00	18.80	ट्रक	बौछार
21	504	मानेगांव	14	31	18.00	7.40	2.40	27.80	1390.00	13.90	ट्रक	इमलिया
22	505	कापखेडा	30	33	13.60	8.80	1.20	23.60	1180.00	11.80	ट्रक	बौछार
23	506	छिदामानी	9	33	8.00	6.80	2.80	17.60	880.00	8.80	ट्रक	बौछार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	507	करकबेल	9	34	27.80	22.40	14.00	64.20	3210.00	32.10	ट्रक	बौछार
25	508	मुगली	13	34	26.00	20.00	8.80	54.80	2740.00	27.40	ट्रक	फैक्ट्री गेट
26	509	मेख	12	34	58.60	40.60	53.00	152.20	7610.00	76.10	ट्रक	फैक्ट्री गेट
27	510	नन्हेगांव	8	34	16.20	10.40	2.80	29.40	1470.00	14.70	ट्रक	बौछार
28	511	कमता	14	34	2.80	2.00	1.20	6.00	300.00	3.00	ट्रक	इमलिया
29	512	लोहरी	10	34	25.60	12.60	12.80	51.00	2550.00	25.50	ट्रक	बौछार
30	513	ठेमी	8	35	43.40	37.80	17.00	98.20	4910.00	49.10	ट्रक	बौछार
31	514	बारगी	0	35	19.80	5.80	0.40	26.00	1300.00	13.00	ट्रक	बौछार
32	515	मुशरान-पिपरिया	9	35	20.80	14.80	8.40	44.00	2200.00	22.00	ट्रक	बौछार
33	516	बेलखेडा	0	35	44.80	30.00	22.00	96.80	4840.00	48.40	ट्रक	बौछार
34	519	टपरिया (ठेमी)	9	37	18.00	15.80	3.60	37.40	1870.00	18.70	ट्रक	फैक्ट्री गेट
35	520	अकोला	7	37	15.40	7.60	6.80	29.80	1490.00	14.90	ट्रक	बौछार
36	522	देवरी	9	38	22.40	15.20	6.00	43.60	2180.00	21.80	ट्रक	बौछार
37	523	बम्हनी	13	39	9.20	8.00	2.80	20.00	1000.00	10.00	ट्रक	इमलिया
38	524	जटलापुर	9	40	4.40	2.40	1.60	8.40	420.00	4.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
39	525	सिवनी (मुगली)	13	40	12.40	9.80	8.80	31.00	1550.00	15.50	ट्रक	इमलिया
40	526	सगरा	9	40	8.40	6.80	2.00	17.20	860.00	8.60	ट्रक	फैक्ट्री गेट
41	530	झामर (सांकल)	4	42	14.00	22.40	4.00	40.40	2020.00	20.20	ट्रक	धमना
42	533	सांकल	1	43	4.00	2.40	0.00	6.40	320.00	3.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
43	534	बुधगांव	0	46	2.80	1.60	2.00	6.40	320.00	3.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
44	535	परसबाडा (मुगली)	14	51	23.00	11.60	7.60	42.20	2110.00	21.10	ट्रक	इमलिया
45	536	रिमझा	2	52	3.60	5.60	4.40	13.60	680.00	6.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
46	538	सनगापुर	9	55	11.60	5.60	4.80	22.00	1100.00	11.00	ट्रक	बौछार
47	601	गुंदरई	4	28	18.00	15.20	41.60	74.80	3740.00	37.40	ट्रक	इमलिया
48	602	गुन्जी	0	44	12.40	8.40	5.60	26.40	1320.00	13.20	ट्रक	इमलिया
49	603	विछिया	28	34	4.40	5.60	1.20	11.20	560.00	5.60	ट्रक	इमलिया
50	604	इमलिया	14	32	26.00	12.00	26.00	64.00	3200.00	32.00	ट्रक	इमलिया
51	605	बटोरी	13	38	14.40	17.60	6.40	38.40	1920.00	19.20	ट्रक	इमलिया
52	606	कमती	14	33	33.00	15.60	6.40	55.00	2750.00	27.50	ट्रक	इमलिया
53	607	गडपेहरा	36	33	10.80	10.40	2.00	23.20	1160.00	11.60	ट्रक	इमलिया
54	609	खमरिया (तिघरा)	0	42	4.80	0.00	3.20	8.00	400.00	4.00	ट्रक	फैक्ट्री गेट
55	610	पथरोडा	12	35	7.60	2.00	6.40	16.00	800.00	8.00	ट्रक	इमलिया
56	611	टिकरी	13	35	33.40	16.20	15.20	64.80	3240.00	32.40	ट्रक	इमलिया
57	612	खमरिया (पिपरसरा)	28	36	11.20	6.00	2.40	19.60	980.00	9.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
58	613	बेलखेडी (टिकरी)	6	37	31.60	16.20	7.60	55.40	2770.00	27.70	ट्रक	इमलिया
59	614	पिपरसरा	25	37	11.60	17.60	13.20	42.40	2120.00	21.20	ट्रक	इमलिया
60	615	दिघारी	6	43	36.80	34.40	19.40	90.60	4530.00	45.30	ट्रक	इमलिया
61	616	गोहचर	0	37	0.80	0.00	0.00	0.80	40.00	0.40	ट्रक	फैक्ट्री गेट
62	617	नोन-पिपरिया	28	38	21.20	19.20	10.40	50.80	2540.00	25.40	ट्रक	इमलिया
63	618	साकली	28	38	8.40	12.40	1.60	22.40	1120.00	11.20	ट्रक	इमलिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
64	619	चांदनखेडा	28	38	29.60	18.40	10.00	58.00	2900.00	29.00	ट्रक	इमलिया
65	620	पिडरई (सिधई)	7	38	10.20	1.20	4.00	15.40	770.00	7.70	ट्रक	इमलिया
66	621	तिघरा (खमरिया)	6	40	3.60	4.40	0.00	8.00	400.00	4.00	ट्रक	फैक्ट्री गेट
67	622	बगलई	6	41	4.80	13.60	6.80	25.20	1260.00	12.60	ट्रक	इमलिया
68	623	तिरका	27	40	12.40	13.60	2.80	28.80	1440.00	14.40	ट्रक	इमलिया
69	624	सिरकोना	36	40	2.40	3.20	0.00	5.60	280.00	2.80	ट्रक	इमलिया
70	625	देवनगर (गोटेगांव)	0	42	21.20	12.80	6.40	40.40	2020.00	20.20	ट्रक	इमलिया
71	626	सिमरी छोटी	7	42	18.80	13.60	7.20	39.60	1980.00	19.80	ट्रक	इमलिया
72	627	राजाकछार	0	43	12.40	7.20	4.00	23.60	1180.00	11.80	ट्रक	इमलिया
73	628	कमोद	5	45	2.80	0.00	0.80	3.60	180.00	1.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
74	629	कमोदी	0	46	0.80	0.00	0.00	0.80	40.00	0.40	ट्रक	फैक्ट्री गेट
75	631	आंखीवाडा	6	49	2.40	3.20	0.00	5.60	280.00	2.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
76	633	परसवाडा (खोवी)	9	50	5.20	12.00	7.60	24.80	1240.00	12.40	ट्रक	फैक्ट्री गेट
77	634	सिमरी बडी	7	50	4.40	4.40	5.20	14.00	700.00	7.00	ट्रक	फैक्ट्री गेट
78	635	उमरा	7	51	4.80	8.00	3.20	16.00	800.00	8.00	ट्रक	फैक्ट्री गेट
79	636	राखी	3	52	3.60	2.80	2.80	9.20	460.00	4.60	ट्रक	फैक्ट्री गेट
80	639	पोनिया (टिकरी)	24	42	8.80	9.60	3.20	21.60	1080.00	10.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
81	644	रामनिवारी	0	42	6.80	2.00	1.20	10.00	500.00	5.00	ट्रक	फैक्ट्री गेट
82	645	बडोदा	0	42	6.80	2.80	2.00	11.60	580.00	5.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
83	649	पडरिया	0	45	2.00	1.60	0.00	3.60	180.00	1.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
84	655	बगासपुर	0	48	1.60	10.40	12.40	24.40	1220.00	12.20	ट्रक	इमलिया
85	664	मालीवाडा	0	49	1.60	4.80	7.60	14.00	700.00	7.00	ट्रक	फैक्ट्री गेट
86	676	सहजपुरा	15	52	6.80	3.60	4.40	14.80	740.00	7.40	ट्रक	इमलिया
87	681	श्री नगर	38	53	3.60	1.20	5.60	10.40	520.00	5.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
88	682	नरवारा (कुकलाह)	0	53	3.60	3.60	1.20	8.40	420.00	4.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
89	684	लाटगांव	39	53	8.00	9.20	5.20	22.40	1120.00	11.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
90	685	मनकवारा	24	54	10.40	7.60	4.00	22.00	1100.00	11.00	ट्रक	फैक्ट्री गेट
91	690	नगवारा (श्री नगर)	0	57	3.60	1.20	2.80	7.60	380.00	3.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
92	691	उमरिया (श्री नगर)	42	57	5.60	8.80	3.20	17.60	880.00	8.80	ट्रक	इमलिया
93	695	झिरी (नगवारा)	0	60	2.00	1.60	0.00	3.60	180.00	1.80	ट्रक	फैक्ट्री गेट
94	260	बंधा	32	0	4.40	2.40	7.60	14.40	720.00	7.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
95	173	रौसरी	0	35	6.40	3.20	2.40	12.00	600.00	6.00	ट्रक	फैक्ट्री गेट
96	540	बिछुआ	0	0	4.00	0.00	3.20	7.20	360.00	3.60	ट्रक	फैक्ट्री गेट
97	541	बरखेडा	0	0	7.20	0.00	7.20	14.40	720.00	7.20	ट्रक	इमलिया
98	737	नेगुवा	13	0	5.80	2.00	0.00	7.80	390.00	3.90	ट्रक	इमलिया
99	738	नादिया	36	0	4.00	5.20	2.00	11.20	560.00	5.60	ट्रक	इमलिया
100	739	केसली	0	0	2.00	3.60	0.80	6.40	320.00	3.20	ट्रक	फैक्ट्री गेट
101	742	बढ़ैना	0	59	1.20	3.20	0.80	5.20	260.00	2.60	ट्रक	फैक्ट्री गेट
योग . .					1490.20	1103.60	698.90	3099.9	164635.00	1646.35		